मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

भोपाल, दिनांक 06 /06/2012

आदेश

क्रमांक/5440/MGNREGS-MP/NR-3/2012– म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद के आदेश कमांक 3314/एनआरईजीएस–म.प्र./स्था./एनआर–2/एफ–522/2010 भोपाल, दिनांक 03.04.2010 द्वारा 14 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट एवं म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश कमांक5438/MGNREGS-MP/NR-3/2012 भोपाल, दिनांक 06.06.2012 द्वारा 07, इस प्रकार 21 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स की स्थापना की गई है। उक्त प्रोजेक्ट मैंनेजमेंट यूनिट्स केवल मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कार्य करने हेतु अधिकृत किए गए थे। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जहां एक ओर ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों का सीधे संपादन कर रही है तो दूसरी ओर पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा संपादित किए जा रहे निर्माण कार्यों पर तकनीकी पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन एवं नियंत्रण का कार्य भी कर रही है जिसमें महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत संपादित किए जा रहे निर्माण कार्यों का तकनीकी नियंत्रण मुख्य कार्य है।

महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत निर्माण कार्यों पर बेहतर तकनीकी नियंत्रण सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जिलों में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के संभागीय कार्यालयों तथा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स के बीच कार्यक्षेत्र के अनुसार कार्यभार का विभाजन इस प्रकार किया जावे किं अपने–अपने कार्यक्षेत्र में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के संभागीय कार्यालय के रूप में कार्य करें इसी प्रकार ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के संभागीय कार्यालय भी उन्हें निर्धारित कार्यक्षेत्र में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के रूप में कार्य करें। सभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के संभागीय कार्यालय उन्हें निर्धारित कार्यक्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के समस्त कार्य ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के संभागीय कार्यालय के रूप में संपन्न करने के लिए तत्काल एतद् द्वारा आदेशित किया जाता है।

प्रोजेक्ट मैंनेजमेंट यूनिट्स के प्रोजेक्ट मैनेजर्स को आहरण संवितरण प्रदत्त नहीं किए जा रहे हैं अतः प्रोजेक्ट मैनेजर्स द्वारा भुगतान योग्य व्हाउचर्स को पारित किया जाकर भुगतान हेतु संबंधित जिले के उस कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को भेजे जावेंगे जिन्हें कि शासन द्वारा आहरण संवितरण अधिकार प्रदत्त किए गए हैं। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के संभागीय कार्यालयों एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स के बीच कार्यक्षेत्र का विभाजन ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के मुख्य अभियंता द्वारा किया जावेगा।

6/6

(अरुणा शर्मा)
प्रमुख सचिव
म0प्र0 शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ0क्र0/ 5441 /MGNREGS-MP/NR-3/2012 भोपाल, दिनांक 06/06/2012

प्रतिलिपिः

1 आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल।
2 आयुक्त, पंचायतराज संचालनालय, भोपाल।
3 आयुक्त, जनसंपर्क, म.प्र. भोपाल।
4 मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा(पूर्व/पश्चिम), विकास आयुक्त कार्यालय, म.प्र.।
5 कमिश्नर, समस्त संभाग।
6 अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मण्डल समस्त।
7 कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला...
8 मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला पंचायत.......................
9 कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग.......................................
10 संचालक, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान, आधारताल, जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
11 विकास आयुक्त कार्यालय की समस्त शाखाएं।
12 निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।
13 निज सचिव, माननीय राज्यमंत्री जी, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।

प्रमुख सचिव,
म0प्र0 शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग